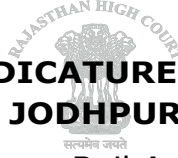




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5594/2026

Manfool S/o Lunaram, Aged About 30 Years, Janiyo Ki Dhaniya
Dayasagar Khara PS Phalodi District Phalodi (Lodged In Sub Jail
Phalodi)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhanwaru Ram
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA
Order

05/05/2026

प्रार्थी-अभियुक्त **मनफूल** की ओर से यह जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना फलोदी, जिला फलोदी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 167/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिए कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रकरण में जिस कमरे से अवैध डोडा पोस्त की बरामदगी बताई गई है, वह स्थान प्रार्थी-अभियुक्त के ही आधिपत्य को हो, यह साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हो सका है। इस प्रकरण में विचारण के दौरान जप्ती अधिकारी पी.डल्ल्यु. 01 दलपतसिंह की साक्ष्य भी लेखबद्ध की जा चुकी है। इस गवाह द्वारा प्रतिपरीक्षण में जो कथन किए गए हैं, उससे भी यह स्पष्ट है कि जप्ती के समय तक गवाह के पास थानाधिकारी का चार्ज भी नहीं था। साथ ही गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल के स्वामित्व व



कब्जे को लेकर उसके द्वारा कोई तस्दीक भी नहीं की गई थी। बरामदगी स्थल एक खुला स्थान होने से कोई भी व्यक्ति वहां आ-जा सकता था। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 15.05.2025 को श्री दलपतसिंह, उप-निरीक्षक, पुलिस थाना फलोदी द्वारा गश्त के दौरान मुखबीर की इत्तिला मिलने पर ही प्रार्थी-अभियुक्त के मकान पर पहुंचने के पश्चात् एक कमरे के अंदर से सात प्लास्टिक के कट्टों में कुल 127.32 किलोग्राम डोडा पोस्त की बरामदगी की गई थी। विचारण के दौरान जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू.01 दलपतसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि वह दिनांक 15.05.2025 को पुलिस थाना फलोदी में उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था और गश्त करते हुए ही स्पेशल टीम के कांस्टेबल महेन्द्र उज्ज्वल द्वारा वाट्सएप कॉल के जरिये ही मुखबीर की सूचना दी गई थी। प्रतिपरीक्षण के अनुसार दिनांक 15.05.2025 को एस.एच.ओ. फलोदी महेन्द्र दत्त शर्मा थे। साथ ही गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि बरामदगी स्थल के अड़ोस-पड़ोस के व्यक्तियों को बुलाकर तस्दीक नहीं करवाई गई कि बरामदगी स्थल किसके स्वामित्व व कब्जे का था और बरामदगी स्थल के स्वामित्व के संबंध में संबंधित पटवारी, ग्रामसेवक एवं सरपंच को बुलाकर भी तस्दीक नहीं करवाई गई थी। यह भी स्वीकार किया गया कि बरामदगी स्थल के कमरे के आगे दूसरे व्यक्ति का घर बना हुआ है, उसके आगे मनफूल का मकान है और बरामदगी स्थल खुला हुआ होना, जहां कोई भी आ-जा सकता है, कथन किया गया है। बरामदगी स्थल का जो नजरी नक्शा मौका बनाया गया है, उसमें भी 'ए' स्थान पर प्रार्थी-अभियुक्त के पिता लुणाराम का मकान बताया गया है और जिस 'एक्स' स्थान पर बरामदगी



की गई है, वह इंटों का टीन-शेड का बना कमरा है। जबकि 'ए' स्थान के पास ही प्रार्थी-अभियुक्त का निर्माणधीन मकान दर्शाया गया है। प्रकरण में अभी भी समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी-अभियुक्त मनफूल को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **मनफूल पुत्र लुणाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त पुलिस थाना फलोदी, जिला फलोदी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 167/2025 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J